झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–713 वर्ष 2017

लल्लू सिंह ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. मुख्य वन संरक्षक–सह–प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम अशोक बिहार, डाकघर एवं थाना–अरगोड़ा, जिला–राँची।
3. प्रभागीय प्रबंधक, लघु वन उपज परियोजना प्रभाग, डालटनगंज, डाकघर एवं थाना–डाल्टनगंज, पलामू।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ताओं के लिए :– श्री अजय कुमार पाठक, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री प्राण प्रणय, एस0सी0–II के ए0सी0

श्री अमरेन्द्र प्रधान, अधिवक्ता

3/05.02.2019 इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति की सूचना को रद्द करने के लिए प्रार्थना की है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसकी सेवानिवृत्ति के बारे में सूचित किया गया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की आयु राज्य द्वारा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है और इसलिए, याचिकाकर्ता उक्त राहत पाने का हकदार है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि झारखण्ड राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष तक के संबंध में एक समान मुद्दा एल0पी0ए0 संख्या 442/2006 में इस न्यायालय के समक्ष था और इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने कर्मचारियों के पक्ष में एक आदेश पारित किया था। इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति अपील (सिविल) सं0 7572/2012 में चुनौती दी गई थी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 17.11.2011 के आदेश द्वारा इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी है और उक्त विशेष अनुमति अपील अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।

. इसी तरह की रिट याचिका डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 261/2013 को निम्नलिखित संप्रेक्षण के साथ दिनांक 18.06.2015 के आदेश द्वारा निस्तारण किया गया हैः–

''यह कि ऐसे कर्मचारियों की आयु बढ़ाने से संबंधित मुद्दा लंबित विशेष अनुमति याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय द्वारा शासित होगा और ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका को निपटाया जा रहा है हालांकि याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता देते हुए कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार

कोई वाद हेतु होता है, तो उनके लिए कानून के अनुसार एक नई याचिका दायर करने के लिए खुला रहेगा।''

उपरोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय को लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश भी याचिकाकर्ता के इस मामले को नियंत्रित करेगा। इस प्रकार, उपरोक्त परिस्थितियों में, इस रिट याचिका को याचिकाकर्ता के स्वतंत्रता के साथ निपटाया जा रहा है कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कोई वाद हेतु उत्पन्न होता है, तो उनके लिए कानून के अनुसार एक नई याचिका दायर करने के लिए खुला रहेगा।

(आनंदा सेन, न्याया0)